संख्या–2040 / X–2–2015–12(28) / 2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 25 अगस्त, 2015**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना "बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–नि0 114 / 2–36(अनु0जनजाति उपयोजना) दिनांक 15.07.2015 एवं पत्र संख्या–146 / 2–36 (अनु0जा0उपयोजना) दिनांक 20.07.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत पक्ष की योजना **"बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण"** हेतु **अनुदान संख्या–30** के अन्तर्गत **₹100.00 लाख** एवं **अनुदान संख्या–31** के अन्तर्गत **₹140.00 लाख** इस प्रकार **कुल ₹240.00 लाख (₹दो करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

आयोजनागत **(धनराशि हजार रू0 में)**

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या–30	
4406–वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	
01–वानिकी	
102–समाज तथा फार्म वानिकी	
03–बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण	
24–वृहद निर्माण कार्य	10000
योग अनुदान संख्या–30	**10000**
अनुदान संख्या–31	
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	
01–वानिकी	
796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना	
04–बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण	
24–वृहद निर्माण कार्य	10000
29–अनुरक्षण	4000
योग अनुदान संख्या–31	**14000**
कुल योग	**24000**

(₹दो करोड़ चालीस लाख मात्र)

1. योजनान्तर्गत समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार चिन्हित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही वृक्षारोपण कार्य कराये जायेगे एवं यदि अन्य क्षेत्रों तथा वृक्षारोपण से इतर कार्य कराया जाना संज्ञान में आता है तो इस हेतु बजट नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 2

2. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दि0–01.04.15 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम),आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/ दायित्व सृजित किया जाय।
6. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
7. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–638/XXX–1– 12(25)2011, दि0 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
8. यदि कहीं निर्माण कार्य ₹5.00 लाख से अधिक कराये जाने हैं तो वहां नियमानुसार आगणन गठित कर टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए तदनुसार धनराशि व्यय करने की सहमति भी प्राप्त की जायेगी।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष में उपरोक्त तालिका में वार्णित लेखाशीर्षकों के प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट ID संख्या–S1508300131 दिनांक 22.08.2015 एवं ID संख्या–S1508310132 दिनांक 22.08.2015 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या–42(P)/XXVII(4)/2015-16 दिनांक 21 अगस्त 2015 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–2040/X–2–2015–12(28)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

C:\Bhupendra Joshi\2015-2016\Plan G.O..doc

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **2040/X-2-2015-12(28)/2012**

अनुदान संख्या - **030**

अलोटमेंट आई डी - **S1508300131**

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र दिनांक -22-Aug-2015

1: लेखा शीर्षक

4406 - वानिकी एवं वन्य जीवों पर पूँजीगत परिव्यय — 01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

00 - बहुउद्देशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण — 03 - बहुउद्देशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - व्रहत निर्माण कार्य	0	10000000	10000000
	0	**10000000**	**10000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **2040/X-2-2015-12(28)/2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1508310132**

अनुदान संख्या - **031**

आवंटन पत्र दिनांक - 22-Aug-2015

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक

2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

796 - जनजाति क्षेत्र उप योजना

00 - सिविल एवं सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)

01 - वानिकी

04 - बहुउददेशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	10000000	10000000
29 - अनुरक्षण	0	4000000	4000000
	0	**14000000**	**14000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 14000000